भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1447

उत्तर देने की तारीख 12 फरवरी, 2026

दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियमों में संशोधन

1447. श्री एस. निरंजन रेड्डी

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का दूरसंचार साइबर सुरक्षा (टीसीएस) नियम, 2025 में संशोधन करने का विचार है, ताकि मैसेजिंग ऐप में सिम-आधारित प्रमाणीकरण और मैसेज-सत्र (सैशन) सीमा लागू की जा सके और धोखाधड़ी से बचा जा सके;

(ख) संशोधित नियमों के अंतर्गत मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों और दूरसंचार पहचानकर्ताओं के लिए विशिष्ट अनुपालन आवश्यकताएँ क्या-क्या हैं;

(ग) क्या उद्योग द्वारा इन मानकों के लागू होने अथवा उनकी सीमा के संबंध में कोई चिंताएँ व्यक्त की गई हैं; और

(घ) हितधारकों की प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करने और स्पष्ट कानूनी आदेश सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025 (जिन्हें इसमें आगे 'नियम' कहा गया है) दिनांक 22.10.2025 को अधिसूचित किए गए थे।

(ख) इन नियमों में निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक दूरसंचार पहचानकर्ता प्रयोक्ता इकाई (टीआईयूई) दूरसंचार पहचानकर्ताओं या दूरसंचार उपकरणों या दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार सेवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए निदेशों और मानकों, जिनमें उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा शामिल है, के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।

(ग) और (घ) ये नियम दिनांक 24.06.2025 को सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किए गए थे। सार्वजनिक परामर्श के दौरान प्राप्त टिप्पणियों की जांच के आधार पर इन नियमों का अंतिम पाठ दिनांक 22.10.2025 को अधिसूचित किया गया था।

****